

प्रथम पत्रक
कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 -- फारम सं0 562

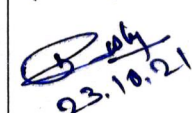
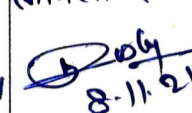
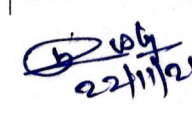
आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता0 से तक

जिला - बोकारो

केस का प्रकार - अतिक्रमण वाद सं0 01 वर्ष 2021-22

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
23.10.2021	निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 230 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री संतोष महतो वो श्री गोविन्द महतो, पिता श्री भाकुर महतो, सा0 पुनर्वास क्षेत्र जैना के द्वारा मौजा - जैना, थाना सं0 - 10, खाता सं0 - 40, प्लॉट सं0 445 अंश, रकबा 0.20 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आलोक में इस कार्यालय से दिनांक 31.07.2021, 10.08.2021 एवं 24.08.2021 के द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए कागजात की मांग की गई। श्री संतोष महतो वो श्री गोविन्द महतो, पिता श्री भाकुर महतो के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अपने दावे से संबंधित कोई कागजात कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। पुनः दिनांक 23.09.2021 को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल अमीन एवं निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के अमीन के साथ अतिक्रमण भूमि को चिन्हित करते हुए नक्शा की मांग की गई है। दिनांक 29.09.2021 को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल अमीन एवं निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के अमीन के द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन एवं नक्शा कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ता को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक <u>08.11.2021</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास से प्राप्त पत्र एवं अतिक्रमणकर्ता को निर्गत नोटिस तथा श.उप. निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन आदि अभिलेख में संवारित है।  23.10.21
08.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय द्वारा निर्गत अतिक्रमण वाद से संबंधित नोटिस के आलोक में श्री संतोष महतो वो गोविन्द महतो अनुपस्थित। पुनः अंतिम नोटिस निर्गत करते हुए अभिलेख दिनांक 22.11.2021 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	निर्गत नोटिस का लिखित संस्कार है।  8-11-21
22.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस के आलोक में श्री संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा उक्त भूमि से संबंधित पर्चा, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को दिये गये आवेदन एवं निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास	पत्र आवेदन एवं निर्गत पत्र का प्रति संवारित है।  22/11/21

द्वारा निर्गत नोटिस Case No 18A/62-63, Award No – 494 से संबंधित कागजात जमा किया गया। उनके द्वारा लिखित में बताया गया कि उपरोक्त भूमि बहादुर सिंह पिता भैरव सिंह, ग्राम जरीडीह, बोकारो को पर्चा सं० 1768 के द्वारा 0.10 एकड़ भूमि प्राप्त है एवं शेष 0.10 एकड़ भूमि विनोद बिहारी महतो पिता स्व० भोलानाथ महतो, ग्राम कनारी, बोकारो के द्वारा अपने दखल-कब्जे में रखते हुए मकान का निर्माण किया गया है, एवं पर्चा निर्गत करने हेतु संबंधित विभाग को आवेदन दिया गया है। उपरोक्त भूमि पर दोनों व्यक्तियों के द्वारा निर्मित मकान पर संतोष महतो वो गोविन्द महतो रह रहे हैं।

बहादुर सिंह पिता भैरव सिंह, ग्राम जरीडीह, बोकारो एवं विनोद बिहारी महतो पिता स्व० भोलानाथ महतो, ग्राम कनारी, बोकारो को नोटिस निर्गत करते हुए प्राप्त कागजातों का सत्यापन हेतु निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को पत्र भेजे।

अभिलेख दिनांक 01.12.2021 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
जरीडीह।

01.12.2021

अभिलेख उपस्थापित।

कार्यालय पत्रांक 850 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को Case No 18A/62-63, Award No – 494 से संबंधित प्राप्त कागजातों का सत्यापन हेतु पत्र भेजा गया था। सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करे।


अंचल अधिकारी
जरीडीह।

14.12.2021

अभिलेख उपस्थापित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, बोकारो के पत्रांक 1055/विधि दिनांक 08.12.2021 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया कि इस अतिक्रमण वाद के संबंध में संतोष महतो एवं अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P(C) No. 4626/2021 दायर किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होने के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
जरीडीह।

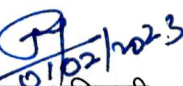
01.02.2023

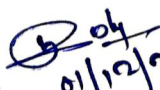
अभिलेख उपस्थापित।

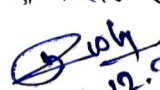
निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 73 दिनांक 31.01.2023, 67 दिनांक 27.01.2023 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के पत्रांक 13/रा० दिनांक 07.01.2003 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P(C) No. 4626/2021 को खारिज किये जाने के उपरान्त उपरोक्त भूमि पर नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निदेश प्राप्त है।

उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अतिक्रमणकर्ता को पुनः नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 17/02/2023 को उपस्थापित करें।

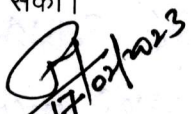
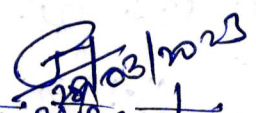

अंचल अधिकारी
जरीडीह।

निर्गत पत्र की प्रति संवारी है।

01/12/21

रिट की प्रति संवारी है।

14.12.21

डी.पी.एस.आर. से प्राप्त स्वंपत्र एवं श्रद्धां पदा. से प्राप्त पत्र तथा नोटिस की प्रति संवारी है।

01.02.23

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर का गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	3	3
17.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख पर कार्रवाई नहीं हो सकी। अभिलेख पुनः दिनांक 28.02.2023 को रखें।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	
28.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संधारित है। अतिक्रमणकर्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में C.M.P. No. 84/2023 दायर करते हुए कार्यालय को सूचना उपलब्ध करायी गया है। उक्त वाद में किसी प्रकार का अतिक्रमण पर रोक लगाने का आदेश नहीं है। उपरोक्त के क्र में अतिक्रमणकर्ता को पुनः विधिवत् नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक28/02/2023 को रखें।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	
28/02/2023	अभिलेख उपस्थापित। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। मान्य के अधिकार तामिला के कारण अभिलेख पर कार्रवाई नहीं है। तब मान्य स्तमाय के उपलब्ध अभिलेख उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	
01/04/23	अभिलेख उपस्थापित। निर्गत परिश्रमा अभि एवं पुनर्वाप को आदेश के पत्रों 153 दिनांक 28/02/2023 के द्वारा अतिक्रमणकारी को लौटाव महीने पत्र आखु महीने का आवेदन शत्रुता कार्रवाई हेतु प्राप्त है। प्राप्त आवेदन के शत्रुता का पत्र प्रभा कि अतिक्रमणकारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचारधीन होने के बावजूद अतिक्रमणकारी द्वारा जारी जारी अतिक्रमण का नोटिस देते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना करते ही काम उपलब्ध 'विभा' उपस्थापित।  अंचल अधिकारी जरीडीह।	

201/01/03
श्रीचम. शास्त्रिण.
जल्दले ।

ସାକ୍ଷୀ: ସୁଧାଂଶୁ

निदेशक परिधीयता मुक्ति एवं पुनर्वसु कोषों के
के पत्रिका - 209 दिनांक - 16/05/23 के द्वारा पुनर्वसु क्षेत्र
जिला के खारा नं - 40 एवं रत्ना नं - 445 खेती खेती
0.20 एकर अधिक पर भा. लक्ष्मी ~~मुक्ति~~ महो, श्री गोविन्द
महो. जिला भा. माण्डा महो. पुनर्वसु क्षेत्र - जिला के
द्वारा पुनर्वसु हेतु खेतीगाह अधिक के खेती क्रमिक
कार्य एवं पुनर्वसु लक्ष्मी उपविभाग पर नियमानुसार पूर्व के
दायक कार्यक्रमों का पर पुनर्वाही का प्रस्ताव
कार्यक्रमों मुक्ति एवं निदेश प्राप्त है.

સીક જોડિ જારિ કમળ જાણિયમ - 1956 જો ધાલિ 6
તર જારિ કમળ વારિમી જો જારિ કમળ જાણિયમ
દિનીક - 26.06.23 તર જારિ કમળ જાણિયમ જો જારિ કમળ
જાણિયમ જો જારિ કમળ જાણિયમ જો જારિ કમળ જાણિયમ
જો જારિ કમળ જાણિયમ જો જારિ કમળ જાણિયમ જો જારિ કમળ
જાણિયમ જો જારિ કમળ જાણિયમ જો જારિ કમળ જાણિયમ

अभिलेख २।बि वापसी, अतिक्रमणकर्ता में भी जायेगी,
अभिलेख दिनांक 26/06/2023 और रखे।

24/06/2023
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

03/07/2023 अभिलेख उपस्थापित।

इस कार्यालय पत्रांक प.१७ दिनांक ४/०६/२०२३
के द्वारा संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल
निरीक्षक एवं अंचल अमीन जरीडीह के से अतिक्रमण
भूमि के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई थी। उनके
द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदन किया गया है कि
अतिक्रमणकर्ता के द्वारा अतिक्रमण भूमि की दिनांक
२७/०६/२०२३ तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः दिनांक १५/०७/२०२३ की तिथि निर्धारित
करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी वेरमा (तनुधाट) की
पत्र प्रेषित करते हुए प्रयाप्त मात्रा में महिला एवं पुरुष
पुलिस बल के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनिधुक्ति करने
देनु पत्र भेजे।

पत्र प्राप्ति के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।

03/07/2023
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

मालगुन
संयुक्त व
से प्राप्त
प्रतिवेदन
की प्रति।

03/07/23

20/07/23

अभिलेख उपस्थापित/प्रतिनिधुक्त दण्डाधिकारी डोंगं पत्र कुमा, प्रमुख पदाधिकारी, जे.पी. (रेनुवाल) के पत्र - 22 दिनांक 15/07/23 को पुलिस के अतिरिक्त पुनः करना हेतु पर्याप्त पुलिस बल नहीं रहे के कारण निधि. व्यवस्था की समाप्ति के कारण अतिरिक्त बल को अतिरिक्त पुनः नहीं कराया जा सका।

पुनः अनुमंडल पदाधिकारी जे.पी. (रेनुवाल) को पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल (महिला एवं पुरुष बल) उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजे।

तदोपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।

20/07/23
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

08/08/23

अभिलेख उपस्थापित। अनुमंडल पदाधिकारी जे.पी. (रेनुवाल) के तदुक्त उक्त अतिरिक्त को हटाने हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनिधुक्ति नहीं हो सकी।

पुनः अनुमंडल पदाधिकारी जे.पी. (रेनुवाल) को दण्डाधिकारी प्रतिनिधुक्ति एवं पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल (महिला एवं पुरुष बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजे।

तदोपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।

08/08/23
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

प्रमुख पदाधिकारी जे.पी. (रेनुवाल) के पत्र - 22 दिनांक 15/07/23 को पुलिस के अतिरिक्त पुनः करना हेतु पर्याप्त पुलिस बल नहीं रहे के कारण निधि. व्यवस्था की समाप्ति के कारण अतिरिक्त बल को अतिरिक्त पुनः नहीं कराया जा सका।

28/08/23

अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय पत्रांक-589 दिनांक-08-08-23 के द्वारा दिनांक-19-08-23 को उक्त आतिथ्य को हलने हेतु अनुसंधान विभाग जाने के आदेश में अनुमान पदाधिकारी, बेरगो (निबुधाल) के पत्रांक-895/गौं दिनांक-18-08-23 के द्वारा दिनांक-25-08-23 को विधि निवारित करने हुए डी० संजय कुमार, प्रमुख पशुपालन पदाधिकारी, जरीडीह के आतिथ्य के रूप में प्रतिनिधित्व भी गई है।

प्रतिनिधित्व आतिथ्य के डी० संजय कुमार, प्रमुख पशुपालन पदाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक-26 दिनांक-25/08/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-25/08/23 को आतिथ्य मुक्त करवाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए आतिथ्य दिन स्थल को आतिथ्य मुक्त नहीं कराया जा सका।

पुनः अनुमान पदाधिकारी बेरगो (निबुधाल) के पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल (महिला/पुरुष बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र-आदेश।

प्रोपॉज अभिलेख उपस्थापित हो।


अंचल अधिकारी
जरीडीह।

05/09/2024

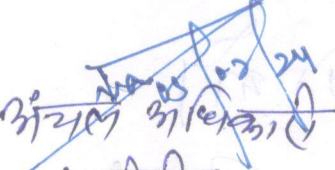
अभिलेख उपस्थापित। अनुमान पदाधिकारी, बेरगो (निबुधाल) के आदेश पत्रांक-120/गौं दिनांक-29-08-2024 एवं संशोधित आदेश पत्रांक-149/गौं दिनांक-04-09-2024 द्वारा दिनांक-15-09-2024 को विधि निवारित करने हुए श्री उमाल आला (कर्मचारी अभियंता, जरीडीह प्रखण्ड के आतिथ्य के रूप में

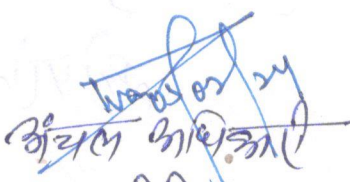
प्रतिनिधुक्त डिमें जाने एवं विधि व्यवस्था के वरीय प्रमाण में श्री-
 लक्ष्मणम महतो, प्राकृत विकास पर्याधिकारी, जएडीए के प्रतिनिधुक्त
 डिमें जाने के अतिरिक्त प्राकृत विकास पर्याधिकारी, जएडीए के पत्रांक-
 145 दिनांक-05-02-2024 के काए प्रतिकेदिन डिमा गया कि मीजा-
 जेना थाना नं-10 रवाता एंड 40 प्लॉट सि- 445 अंश रकबा-
 0.20 एंड ग्रूमि के अतिक्रमण मुक्त करवाने हुए निदेशाव, ग्रूमि
 एंड पुनर्वास, कोकरे के अमीन एवं सहायक को हस्तगत करा
 दिमा गया।

इपरीक्त के अतिरिक्त प्रतिनिधुक्त पर्याधिकारी/अंचल
 निरीक्षक/संशोधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल अमीन/ग्रूमि एवं
 पुनर्वास, कोकरे के अमीन एवं सहायक काए संयुक्त प्रतिकेदिन
 समर्पित डिमा गया है कि अतिक्रमण स्थल को अतिक्रमण मुक्त
 करवाने हुए ग्रूमि एवं पुनर्वास कार्यालय, कोकरे के अमीन एवं
 सहायक को हस्तगत करा दिमा गया है। इस आशय की
 सूचना अनुमोदित पर्याधिकारी, जे(मो)लेनुवाल एवं निदेशाव,
 ग्रूमि एवं पुनर्वास, कोकरे के पत्र के माध्यम से गैलें।

अमिलेल के आर्काइव समाप्त की जाती है

लेखापित एवं संशोधित


 अंचल अधिकारी
 जएडीए।


 अंचल अधिकारी
 जएडीए।